में पेश हुई। T.D.R HMH के दौरान बन्द रिपोर्ट मौका प्राप्त हुई। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थी 1 व 2 को कोई एतराज नहीं है। अतः पक्षकारों में सहमति के आधार पर प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुदा (दा.)

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न
ोन अधिकारी :
प्रकरण संख्या

क्रमांक
तहसील
हनुमान

प्रकरण
पत्र के
तो, मुता
दिवस मे
सलंग्नः–

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ जिला हनुमानगढ। राजस्व लोक अदालत कैम्प नवां

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिह,पुरोहित (आर.ए.एस.)

रास्ता प्रकरण संख्या :– 28/2018

2

रमनदीप ढिल्लों पुत्र श्री सतपाल जाति जटसिख निवासी नवां तहसील हनुमानगढ।

––––प्रार्थी

बनाम

1.नत्था सिह पुत्र श्री चन्द सिह 2.विरेन्द्र सिह पुत्र श्री महेन्द्र सिह जाति निवासी नवां तहसील हनुमानगढ 3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1.श्री बलविन्द्र सिह एडवोकेट–प्रार्थी।

2.श्री शहजाद हुसैन, एडवोकेट–अप्रार्थीगण 1 व 2

अन्तर्गत धारा 251(ए) राज.काश्तकारी अधि.

निर्णय

दिंनाक 11.06.2018

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी रमनदीप ढिल्लो के नाम से चक 6 एल एल डब्ल्यू के खाता संख्या 39/40 में कुल 1.012 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की खातेदारी कृषि भूमि इसी चक 6 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 29/32 में प्रा.पत्र के पैरा संख्या 2 अनुसार 4.301 है. दर्ज रिकार्ड है जिसकी पुष्टि प्रार्थना पत्र संलग्न जमाबंदी से हा रही है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की सहमति से चल रहे रास्ता में अब अप्रार्थीगण द्वारा बाधा पैरा करने के कारण वाद हेतुक प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 6 एल एल डब्ल्यू के खाता संख्या 29/32 के पत्थर नम्बर 141/226 के मु.न. 46 के किला नम्बर 4 व 5 के दक्षिणी सींव पर दो गट्ठा रास्ता स्वीकृत कहा तो वे वह इन्कार हो गये। यही प्रार्थना पत्र का वाद कारण है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 6 एल एल डब्ल्यू के खाता संख्या 29/32 के पत्थर नम्बर 141/226 के मु.न. 46 के किला नम्बर 4 व 5 के दक्षिणी सींव पर दो गट्ठा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा रास्ता भूमि के बदले में राशि प्रार्थी से प्राप्त करने का उल्लेख अपने जवाब में किया है। तहसीलदार हनुमानगढ से रिकार्ड एवं मौका तथा रास्ता की सुविधा उपलब्धता के संबध में रिपोर्ट तलव की गई जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावाली राजस्व लोक अदालत कैम्प नवां में पेश हुई। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में रास्ता स्वीकृत करने पर कोई आपत्ति नही करने से प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नही है। तहसील रिपोर्ट में भी प्रार्थी की भूमि को अन्य कोई रास्ता नही बताया है तथा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को ही निकटतम रास्ता बताया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नही होने अप्रार्थीगण की सहमति होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के
त स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1 व 2 की कृषि भूमि चक 6 एल एल डब्ल्यू के
ता संख्या 29/32 के पत्थर नम्बर 141/226 के मु.न. 46 के किला नम्बर 4 व 5 के दक्षिणी
व पर दो गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हेतु
सीलदार हनुमानगढ को पालना हेतु निर्णय की प्रति भिजावाई जावे । पत्रावली फैसला शुमार
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner